बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001

(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द डांडियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 18 दिनांक 15/4/2013

सेवा में,

मुख्य सचिव,

बिहार, पटना।

विषय:- दिनांक-15.04.2013 को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रोन्नति के बिन्दु पर वार्ता के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुर्नगठन दिनांक-28.01.10 को यह आवश्यक समझ कर किया गया कि इस सेवा के सदस्यों को नीति निर्धारण तथा प्रशासन से संबंधित उच्च पदों पर अपेक्षाकृत कम आयु में पदस्थापित होकर कार्य करने के बेहतर अवसर प्रदान होगा। संवर्ग का पुर्नगठन के उपरान्त पूर्व में स्वीकृत पद 2878 से घटकर पद की संख्या-851 हुई। इसका कार्यान्वयन 01.04.10 से लागू हुआ उस वक्त सदस्यों की संख्या लगभग 1600 थी। वर्तमान में सदस्यों की संख्या लगभग 1300 है जो स्वीकृत पद 851 से लगभग 450 अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप 01.04.10 के बाद मूल कोटि के उप सचिव एवं उप सचिव से अपर समाहर्त्ता में प्रोन्नति वाधित हो गयी। वर्ष 2010 में पुर्नगठन के उपरांत पहली वार वर्ष 2012 में रिक्ति के विरूद्ध वर्ष 2013 में उप सचिव से अपर समाहर्त्ता में प्रोन्नति हो पायी जिसके लिए संघ धन्यवाद ज्ञापित करता है क्यों कि बहुत से सदस्यों को प्रोन्नति इस कारण से नहीं हो पा रहा था कि उनका गोपनीय अभ्युक्ति प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित नही किया गया था। भवदीय के मार्गदर्शन में यह प्रावधान निर्गत हो पाया कि संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अगर विशेष गोपनीय अभ्युक्ति प्रतिवेदित कर देते है तो उसके पूर्व के अवधि का भी गोपनीय अभ्युक्ति माना जायेगां परन्तु इसका उपयोग पूरे सेवाकाल में एक बार ही किये जाने का प्रावधान किया गया एवं यह वर्ष 2010-11 के लिए लागू किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001

(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अखिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :................................ दिनांक ....

संघ का अनुरोध है कि गोपनीय अभ्युक्ति के प्रावधान में बदलाव लाया जाय। सुझाव यह है कि अगर प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा गोपनीय अभ्युक्ति दिसम्बर माह तक प्रतिवेदित नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाय कि उक्त पदाधिकारी के विरूद्ध कोई प्रतिकुल टिप्पणी नही है। तदनुसार प्रोन्नति दी जाय। ऐसा होने से भविष्य में होने वाले प्रोन्नति में पदाधिकारी का प्रोन्नति वाधित नही हो पायेगा। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि 01.04.10 को पुनर्गठन का कार्यान्वियन के तीन वर्ष उपरांत आज तक मूल कोटि से उप सचिव स्तर में प्रोन्नति नहीं हो पायी है।

2. कंडिका (i) जैसा वर्णित है वर्तमान स्वीकृत बल 851 से अधिक लगभग 450 पदाधिकारी जो सभी मूल कोटि में है यानि मूल कोटि का स्वीकृत बल 313 के विरूद्ध वास्तविक पदाधिकारी की संख्या-763 है। जिन्हें गैर संवर्गीय पद पर पदस्थापित किया गया है। संघ की मांग रही है कि गैर संवर्गीय पद के विरूद्ध प्रोन्नति दी जाए ताकि प्रोन्नति में Stagnation समाप्त हो सके। लेकिन ऐसा अबतक नहीं हो पाया है वर्तमान में उपर के तीन पदों का स्वीकृत बल एवं पदस्थापित पदाधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	वर्तमान कार्यरत	31.12.13 को कार्यरत	रिक्त पद
1	विशेष सचिव	24	12	08	16
2	अपर सचिव	48	17	06	42
3	संयुक्त सचिव	131	75	51	81

जब तक इन पदो को भरा नही जायेगा। नीचे के पदाधिकारी का प्रोन्नति नहीं हो पायेगा। पुर्नगठन में जहाँ तक निर्धारित कालावधि का प्रश्न है वो इस प्रकार है:-

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :................................ दिनांक ....

क्र.सं.	पदनाम	ग्रेड पे	कालावधि
1	मूल कोटि से उप सचिव	5400 से 6600	5 वर्ष
2	उप सचिव से अपर समाहर्त्ता	6600 से 7600	5 वर्ष
3	अपर समाहर्त्ता से संयुक्त सचिव	7600 से 8700	5 वर्ष
4	संयुक्त सचिव से अपर सचिव	8700 से 8900	2 वर्ष
5	अपर सचिव से विशेष सचिव	8900 से 10000	2 वर्ष

उपरोक्त के अनुसार 15 वर्ष पर संयुक्त सचिव एवं 17 वर्ष पर अपर सचिव में प्रोन्नति होना चाहिए। परन्तु 33वी बैच के आधे पदाधिकारी, 34वी बैच, 35वी बैच, 36वी बैच के पदाधिकारी जिनका सेवा अवधि क्रमशः 25, 24, 23,21 वर्ष हो चुका है अभी भी उप सचिव स्तर में ही कार्यरत हैं जबकि उन्हें विशेष सचिव स्तर पर होना चाहिए था। इसी प्रकार 36वी बैच के शेष, 37वी, 38वीं, 39वी, 40वी, 41वी, 42वी, जिनकी सेवा अवधि क्रमशः 20, 18, 17, 16, 14, 13 वर्ष हो चुकी है। वे अभी भी मूल कोटि में ही है। जबकि उन्हें विशेष सचिव से अपर समाहर्त्ता स्तर के पद पर होना चाहिए था। इसी प्रकार 31वी, 32वी, बैच के पदाधिकारी की सेवा अवधि क्रमशः 28, 26 वर्ष हो चुकी है जो अभी अपर समाहर्त्ता स्तर में है। उन्हें विशेष सचिव स्तर पर होना चाहिए था। यही स्थिति अन्य बैचों यथा 27वी, 28वी, 29वी एवं 30वी बैच की है जिन्होने क्रमशः 33, 32, 30, 29 वर्ष की सेवा पुरी कर ली है। परन्तु इन में से अधिकतर पदाधिकारी अभी भी अपर समाहर्त्ता/ संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के पद पर ही है। जबकि संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव के पद रिक्त है। रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने हेतु कालावधि में छूट देने की आवश्यकता है।

संघ का अनुरोध है कि कालावधि में छूट प्रदान की जाए। यह समस्या सेवा पुर्नगठन होने के उपरांत उत्पन्न हुई है। सेवा पुर्नगठन के कंडिका

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774
महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजचन्द्र वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.................................   दिनांक ....

-(6) में वर्णित है कि "बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों का अवक्रमण/उत्क्रमण/सृजन अथवा पदाधिकारियों की पदस्थापना के क्रम में इस संक्रमण अवधि में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकृत होंगे।" इस प्रावधान के आलोक में संघ का भवदीय से विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त समस्या की ओर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समाधान कराने की कृपा की जाए। ऐसा होने से रिक्त पद पर पदस्थापन हो जायेगा एवं प्रोन्नति में Stagnation समाप्त हो पायेगा।

3. उपरोक्त दो समस्या का समाधान के साथ-साथ संघ का अनुरोध है कि BAS Rule का गठन किया जाय ताकि भविष्य में उत्पन्न समस्याओं का समाधान Rule में वर्णित प्रावधान के तहत हो पाये।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं को रख कर संघ ने कोई नई मांग नहीं रखा है। बल्कि मात्र उत्पन्न समस्या का समाधान का अनुरोध किया है।

आशा है भवदीय के मार्ग दर्शन में वर्णित समस्या का समाधान अवश्य होगा।

15/04/17
(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष